बनाम

साबुलाल — मदन

नाम न्यायालय ACJ

केस संख्या 41/52/23

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 31/7/24 | पत्रावली पेश हुई पक्षीगण उपस्थित। अभिभाषक 2 की ओर से पत्रावली पेश किया गया। शपथ-पत्र तथा पक्षीगण वादी की ओर से तैयार। पक्षीगण उपस्थित। पत्रावली पर सुनी गई। बहस मनन किया जाकर पत्रावली का सम्पूर्ण अवलोकन किया गया। वाद कारण लगातार पेश किया गया है जिससे पक्षकारों के मध्य आदेश तक विवाद लगातार नहीं हुआ है। अतः वाद के निस्तारण तक विवादित भूखण्ड की संरक्षित बनाये रखना उचित समझा है। दिनांक 21/4/23 को जारी अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा को लगातार किया जाकर उभयपक्षों को सुलह के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा के पालन किया जाता है कि वादग्रस्त भूखण्ड खसरा नं. 3497, 3498, 3499, 3499/8/39, 7086 कुल क्षेत्र 5 कुल रकबा 2.6300 है० वाईगान बगरूकलां पटवार हल्का बगरूकलां व पक्षी भू० फोन नं० बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के नीचे की यथास्थिति बनाये रखें, विशिष्ट भू-भाग का विक्रय नहीं करें। पत्रावली फौरन शुरू होगा इसी तारीख से कम से कम डायरी उपस्थित। निर्णय मय दिनांक 31/7/24 को विवाद जाकर को इजलास सुनाया गया।<br>सहायक कलक्टर<br>जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर |

इति - पी.सी. की कार्यवाही 31.7.24